<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
किशोर बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)
सू.अ. अपील संख्या 38/2024</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24/09/2024</td><td>अपीलार्थी किशोर निवासी वार्ड नं. 23, भोपालगढ़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2024 में वर्णित बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) ने जरिये पत्रांक 1762 दिनांक 02.05.2024 से बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपालगढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का आवेदन पत्र पत्रांक 1717 दिनांक 16.04.2024 द्वारा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपालगढ़ को अंतरित किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।
जोधपुर को अंतरित/स्थानान्तरित कर दिया गया।

चूंकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में चाही गई सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण आवेदन पत्र परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपालगढ़ को अंतरित/स्थानान्तरित कर दी गई। अतः परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपालगढ़ (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा सूचना नही दी गई तो प्रार्थी उनके संबंधित प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।
`

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td><td></td></tr>
</table>